NIC

No.1(4)/E.II(A)/2010
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
[E.II(A) Section]

New Delhi, dated the 7th June, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Opening of a new Object Head **'Grants-in-aid-Salaries'** in the list of Object Heads below Rule 8 of Delegation of Financial Powers Rules,1978.

With the object of uniquely depicting the expenditure on Grants-in-aid for payment of salaries at the level of primary unit of appropriation, it has been decided to open a new object head, **'Grants-in-aid-Salaries' with effect from 01.04.2011**, in addition to the list of existing object heads, as codified through this Department's OM No.F.1(47)-E.II(A)/94 dated 12.12.1994, as modified from time to time.

2. The new object head **'Grants-in-aid-Salaries'** will be included in the list of Object Heads indicated below Government of India Decision No.1 below Rule 8 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978. The Object Head Number, the code and the description/definition of Object head **'Grants-in-aid-Salaries'** would be as follows:-

Object Class	**Code Number**	**Nomenclature of Object Head**	**Description/Definition**
4(Grants etc.)	**36**	**'Grants-in-aid-Salaries'**	**Will include amounts released as grants-in-aid for payment of salaries**

3. The inclusion of the new Object Head **'Grants-in-aid-Salaries'** under Rule 8 of DFPRs has been prescribed after obtaining the advice of the Office of the Comptroller & Auditor General of India.

4. Hindi version of this OM will follow.

Premanand

(R. Prem Anand)
Under Secretary to Govt. of India

To

1. Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India
2. Financial Advisers of all Ministries/Departments of the Government of India
3. Controller General of Accounts.

Copy forwarded to the Office of the C&AG of India and UPSC etc. as per the standard endorsement list.

Expenditure -> Establishment -> Circular order -> DFPRs (Delegatn of Financial Powers Rules)

सं.1(4)/ई।।(ए)/2010

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

ई ।।(ए) अनुभाग

नई दिल्ली, 7 जून, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के अंतर्गत मद शीर्ष की सूची में नया मद शीर्ष ''सहायता –अनुदान-वेतन'' का खोला जाना।

विनियोजन की प्राथमिक यूनिट के स्तर पर वेतन के भुगतान के लिए सहायता अनुदान से संबंधित व्यय विशेष रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से समय-समय पर यथासंशोधित इस विभाग के दिनांक 12.12.1994 के का.ज्ञा. सं. एफ 1 (47)-ई ।। (ए)/94 के माध्यम से यथा कूटबद्ध (कोडिफाईड) विद्यमान मद शीर्ष की सूची के अतिरिक्त दिनांक 1.4.2011 से नया मद शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' खोलने का निर्णय लिया गया है।

2. नए मद शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय संख्या 1 में उल्लिखित मद शीर्ष की सूची में शामिल किया जाएगा। मद शीर्ष संख्या, कोड तथा 'सहायता अनुदान वेतन' मद शीर्ष का विवरण/परिभाषा इस प्रकार होगी:

मद श्रेणी	कोड संख्या	मद शीर्ष का नाम	विवरण/परिभाषा
4(अनुदान आदि)	36	'सहायता अनुदान वेतन'	इसमें वेतन के भुगतान के लिए 'सहायता अनुदान' के रूप में जारी की गई धनराशि शामिल होगी।

3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से परामर्श लेने के पश्चात् वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत नए मद शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

आर प्रेम आनंद

(आर प्रेम आनंद)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों के वित्त सलाहकार।
3. महालेखा नियंत्रक।

प्रतिलिपि मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय तथा संघ लोक सेवा आयोग आदि को अग्रेषित।

NIC